

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 33/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 233(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 04/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 10 जनवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 26(अ) तारीख 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 33/2020—Central Tax

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018—Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in **FORM GSTR-1** by the due date, but furnishes the said details in **FORM GSTR-1**, on or before the 30th day of June, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 4/2018–Central Tax, dated the 23rd January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was last amended by notification No. 4/2020–Central Tax, dated the 10th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 26(E), dated the 10th January, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 34/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 234(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।” ;

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।” ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं० 74/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, से संशोधित किया गया था।